न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 46/2013 (18 आयुध अधिनियम 1959)(R.C.M.S . no 2013/00020)

दरबसिंह पुत्र टीकमसिंह जाति गुर्जर निवासी भौंडागांव तहसील व थाना वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर दिनांक 10.7.2013

उपस्थितिः—

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

निर्णय

दिनांकः 30.5.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के निर्णय दिनांक 10.7.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट दरबसिंह को शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 2/06 डीएम भरतपुर जारी किया गया था। जिसको नवीनीकरण किये जाने के दौरान तहत अदालत द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से जांच रिपोर्ट कमांक 3785 दिनांक 21.3.2013 तलब की गई जिसमें अपीलान्ट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। जिसके आधार पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2013 पारित करते हुये अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिया गया है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

काबिल मंसूखी है। यह कि तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर अपीलाधीन आदेश उसकी बैक पर पारित किया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्यान्तों के विपरीत है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र काफी पुराना है एवं नियमानुसार नियमित नवीनीकरण भी होता रहा है साथ ही समय समय पर अनुज्ञापन अधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपीलान्ट द्वारा पालना की जाती रही है। आज भी अनुज्ञापन अधिकारी के आदेश की पालना में वर्तमान में अपीलान्ट का शस्त्र जमा है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कतई न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता क्यों कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र बिना किसी कारण के बिना अपीलान्ट को सुने अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापनत्र को अनिश्चित काल के लिये निलम्बित कर दिया है जो कानून के खिलाफ है। आयुध अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत शस्त्र अनुज्ञापत्र अनिश्चित काल के लिये निलम्बित नहीं किया जा सकता। अनुज्ञापत्र अधिकारी को वाजिव कारण सहित एक निश्चित अवधि तय करनी चाहिऐ थी किन्तु यहां तहत अदालत के पास न तो कोई कारण था और नाहीं कोई वजह बाबजूद इसके मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित करना न्याय संगत नहीं है। अपीलाधीन आदेश के प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही यह स्पष्ट जाहिर होता है कि यह गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया आदेश नहीं है। रिक्त स्थानों की पूर्ति मात्र की गई है। इसके अलावा जिस मुकदमा संख्या 6/2001 को अपीलाधीन आदेश में आधार बनाया गया है इस मुकदमें का निस्तारण माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग वैर जिला भरतपुर द्वारा दिनांक 8.12.2004 को किया जा चुका है जिसमें अपीलान्ट को राजीनामा के आधार पर बकायदा वरी किया गया है और इस तथ्य की ताईद तहत पत्रावली में संलग्न माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग वैर जिला भरतपुर के निर्णय दिनांक 8.12.2004 एवं जिला पुलिस आधीक्षक भरतपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 17.6.2013 एवं दिनांक 21.3.2013 करती है। दोनों ही रिपोर्टों में इस मुकदमें को निर्णित किया जा चुका है। इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अपीलान्ट के विरूद्ध जिस दिन आज्ञा पारित की गई उस दिन कोई भी आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं था और न ही अपीलान्ट सजायाप्ता था। जिससे यह साफ है कि अपीलान्ट को न तो सुना गया न ही उसके व हैसियत अनुज्ञापत्रधारी के मापदण्डों का परीक्षण किया गया न ही ऐसी कोई वजह स्पष्ट हो सकी जिससे अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को बहाल न किया जा सके। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया आदेश है इसलिऐ अपीलान्ट को इसकी जानकारी ही नहीं थी । दिनांक 25.9.2013 को जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के कार्यालय में सम्पर्क करने पर प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इस पर प्रार्थी ने उसी दिन नकल के लिये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदन किया । दिनांक 4.10.2013 को नकल मिली तदोपरान्त वकील से सम्पर्क किया व दस्तावेजों की पूर्ति कर यह अपील होने जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। जिसके लिये पृथक से दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि तहत अदालत का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने के आदेश दिये जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2013 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह है कि कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा नवीनीकरण किये जाने के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से जांच रिपोर्ट कमांक 3785 दिनांक 21.3.2013 तलब की गई जिसमें अपीलान्ट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। जिसके आधार पर तहत अदालत द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा17 (3) (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2013 पारित करते हुये अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिया गया है। जो न्यायिक परिपेक्ष्य में है। तहत अदालत ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर भी दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.7.2017 न्यायोचित है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है । अन्त में सहायक लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जावे तथा तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुरका अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2017 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where

Web Copy - Not Official

there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 2/06 डीएम भरतपुर के नवीनीकरण किये जाने के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक 3785 दिनांक 21.3.2013 तलब की गई जिसमें अपीलान्ट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि अपीलान्ट का यह कहना है कि रिपोर्ट में जिस मुकदमें का जिक्र किया गया है वह सक्षम अदालत द्वारा दिनांक 8.12.2004 को ही निर्णित किया जा चुका है जिसमें अपीलान्ट को राजीनामा के आधार पर वरी किया गया है। जिसकी ताईद तहत पत्रावली में संलग्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, वैर जिला भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.12.2004 की प्रति तथा जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की दो रिपोर्ट क्रमशः दिनांक 17.6.2013 एवं दिनांक 21.3.2013 बखूबी करती है। इसके अलावा जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 17.6.2013 में तो अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा भी की गई है । लिहाजा किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना अलग बात है उस मुकदमें में दोषी पाया जाना अलग बात है। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उस पर लगाये गये अपराध के संदर्भ में दोषी करार न दे तब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। इस प्रकरण में अपीलान्ट उक्त मुकदमें में न्यायालय द्वारा बरी किया जा चुका है जैसा कि जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट 17.6.2013 के कॉलम संख्या 2 एवं रिपोर्ट दिनांक 21.3.2013 के कॉलम संख्या 5 में स्पष्ट अंकित है । इसके अलावा यदि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाता तो वह अपनी ओर से साक्ष्य सबूत तहत अदालत के समक्ष रख सकता था। इस प्रकार इस प्रकरण में अभी सारगर्भित निर्णय लिया जाना हमारे ख्याल से शेष है । अपील अपीलान्ट पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यक्ता को देखते हुये प्रकरण तहत अदालत को पुनः निर्णय हेतु प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुये तहत अदालत का आदेश दिनांक 10.7.2013 अपास्त किया जाता है। प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण में आयुध अधिनियम की धारा 17(3) के परिपेक्ष्य में प्रकरण की गुणावगुण के आधार पर जांच कर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 31.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official